कार्यालयः— वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, चतरा।

वन भवन, चतरा— 825401 (झारखण्ड)

Ph. & Fax (o) - 06541- 253690 E-mail:- cf-chatra@gov.in

पत्रांक दिनांक

सेवा में,

वन प्रमंडल पदाधिकारी,
चतरा दक्षिणी वन प्रमंडल।

विषय— मेसर्स सी0सी0एल0 द्वारा आम्रपाली ओ0सी0पी0 फेज—2 परियोजना हेतु 431.59 हे0 वनभूमि अपयोजन प्रस्ताव के संबंध में।

प्रसंग :— आपका पत्रांक 1769 दिनांक 16.07.2021

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र द्वारा मेसर्स सी0सी0एल0 द्वारा आम्रपाली ओ0सी0पी0 फेज—2 परियोजना हेतु 431.59 हे0 वनभूमि अपयोजन प्रस्ताव की हार्ड कॉपी एवं ऑन लाईन प्रस्ताव इस कार्यालय में समर्पित किया गया है। समर्पित प्रस्ताव की जांच की गई जिसमें प्रधान मुख्य वन संरक्षक—सह—कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची का पत्रांक 830 दिनांक 19.07.2021 द्वारा प्राप्त दिशा निर्देश का अनुपालन नहीं किया गया है जो निम्नवत् है :—

1. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा Manual Form A Part-1 एवं एन0पी0भी0/सी0ए0 की राशि जमा करने से संबंधित वचनबद्धता प्रमाण—पत्र जिसपर प्रयोक्ता अभिकरण के स्तर से प्राधिकृत पदाधिकारी का नाम/पदनाम एवं तिथियुक्त हस्ताक्षर अंकित हो उसे privesh portal पर additional document के रूप में ऑनलाईन अपलोड किया जाय।
2. वन प्रमंडल पदाधिकारी का Manual Part-2 जिसपर नाम/पदनाम एवं तिथियुक्त हस्ताक्षर अंकित हो उसे privesh portal पर additional document के रूप में ऑनलाईन अपलोड किया जाय।
3. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा समर्पित भूमि विवरणी जिससे संबंधित वन प्रमंडल पदाधिकारी द्वारा सत्यापित किया गया है उसकी हस्ताक्षरित प्रति additional document के रूप में ऑनलाईन अपलोड किया जाय।
4. अपयोजित होने वाले वनभूमि में प्रभावित वृक्षों का Joint Tree Enumeration List में कुल Enumerated प्रजातिवार वृक्षों की संख्या तथा उनमें से वृक्षों के पातन अनिवार्य रूप से किया जाना है कि संख्या प्रतीत होना आवश्यक है एवं उससे संबंधित गणना सूची की सत्यापित प्रति additional document के रूप में ऑनलाईन अपलोड किया जाय।
5. मौजा— जोजवारी में क्षतिपूरक वनरोपण हेतु प्रस्तावित स्थल का नक्शा में प्लॉट नं0— 88 भी अंकित है, परन्तु इस स्थल का तैयार DGPS Map में उक्त प्लॉट अंकित नहीं किया गया है,उसे अंकित किया जाय। इसी प्रकार मौजा कटिया में DGPS Map पर प्लॉट नं0— 175 अंकित नहीं है, अंकित किया जाय।
6. मौजा— कटिया, महुदा, रमटुण्डा, माली, पितीजी एवं परवानी में क्षतिपूरक वनरोपण हेतु चिन्हित स्थल के अनुरूप Geo-reference Map तैयार नहीं किया गया है। दोनों में काफी भिन्नता है जिसमें सुधार की आवश्यकता है।
7. क्षतिपूरक वनरोपण हेतु प्रस्ताव में संलग्न Geo-reference Map में वनरोपण स्थल को Hatching करते हुये अन्य रंगों से दर्शाते हुये Index दर्शाया जाना अनिवार्य है जो नहीं है। इसमें भी सुधार की आवश्यकता है।

अतः उल्लेखित त्रुटियों के निराकरण हेतु हार्ड कॉपी प्रस्ताव एवं ऑनलाईन इस पत्र के साथ संलग्न कर वापस करते हुये अनुरोध है कि संशोधित प्रस्ताव यथाशीघ्र इस कार्यालय में समर्पित किया जाय ताकि अग्रेतर कार्रवाई की जा सकें।

विश्वासभाजन,
ह0/—
वन संरक्षक,
प्रादेशिक अंचल, चतरा।

ज्ञापांक 792 दिनांक 31-07-2021

प्रतिलिपि :— क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, हजारीबाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

वन संरक्षक,
प्रादेशिक अंचल, चतरा।

31/7/2021